भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1536
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनियमितताएँ

1536. श्रीमती संजना जाटव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता में अनियमितताओं या कार्यों में संभावित हेराफेरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राप्त की गई उक्त शिकायतों की संख्या राज्य-वार कितनी है और अब तक उनमें से कितनी शिकायतों की जाँच की गई है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का भरतपुर क्षेत्र में किसी स्वतंत्र अभिकरण या तकनीकी लेखापरीक्षा दल द्वारा सड़कों की गुणवत्ता की जाँच कराने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में संभावित समय-सारिणी क्या है; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में उक्त योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): जी, हां। राजस्थान के भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों के संबंध में एक शिकायत हाल ही में मंत्रालय को लोकसभा सचिवालय से प्राप्त हुई है। जून 2025 में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) की एक टीम द्वारा शिकायत की जांच की गई। भरतपुर जिले में टीम द्वारा निरीक्षण किये गये 4 सड़क कार्यों में से 3 सड़क कार्यों को "संतोषजनक" तथा 1 रखरखाव कार्य को "असंतोषजनक" बताया गया। राजस्थान राज्य सरकार से "असंतोषजनक" श्रेणी के रखरखाव कार्य में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

"ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है , और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क परिसंपत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही एक सुव्यवस्थित त्रिस्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र मौजूद है। प्रथम स्तर के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है। दूसरा स्तर , राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से संरचित स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाए। तीसरे स्तर के अंतर्गत , जो राष्ट्रीय स्तर पर है , गुणवत्ता की निगरानी करने तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रैंडम आधार पर सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) तैनात किए जाते हैं।

पीएमजीएसवाई कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय के अधिकारियों और एनक्यूएम द्वारा भी जांच की जाती है। त्रिस्तरीय तंत्र के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर , जहां भी आवश्यक हो , राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। वर्तमान में मंत्रालय में भरतपुर जिले से संबंधित कोई अनुरोध लंबित नहीं है। एनक्यूएम और राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) की निरीक्षण रिपोर्टें वेबसाइट यूआरएल http://omms.nic.in> Quality> Quality (NQM Reports) & (SQM Reports) > Quality Grading Abstract पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त , मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, तथा राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/ अधिकारप्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं , ताकि गुणवत्ता और रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति का आकलन किया जा सके। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन , जिसमें उनका रखरखाव भी शामिल है , की निगरानी रीयल टाइम के आधार पर ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम, निगरानी सूचना प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

****